

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 3287/12-1

दिनांक, रामनगर, 10-1-2023

सेवा में,

वन संरक्षक
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड
हल्द्वानी, नैनीताल

विषय: जनपद- नैनीताल में तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली दाबका नदी के वन स्वीकृति (F.C.) पुर्नप्रस्ताव FP/UK/MIN/147953/2021 में भारत सरकार द्वारा लगाई गई EDS आपत्ति के संबंध में।

संदर्भ: वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की पत्र संख्या 8-61/1999-FC (Pt-v) दि. 30 दिसम्बर 2022


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने विषयगत प्रस्ताव पर 4 बिन्दुओं की आपत्ति लगाई गयी थी, उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग को लिखा गया, याचक विभाग द्वारा आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रत्युत्तर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रत्युत्तर आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	प्रतिउत्तर
1	The State/UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed that the mining plan is under process for approval for the next five years whereas renewal is being sought for 10 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.	उक्त बिन्दु के क्रम में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून की पत्र सं० 1573/FP /UK/MIN /147953/2021/ दिनांक 30 सितम्बर 2022 के अनुपालन में दाबका नदी के भूतत्व एवं खनिकर्म, इकाई द्वारा स्वीकृत माइनिंग प्लान की प्रति नोडल अधिकारी को प्रेषित कर दी गयी है। Mining Plan की वैधता 18 फरवरी 2023 से अग्रेत्तर 05 वर्षों की अवधि (19 फरवरी 2028) हेतु नवीनीकृत किया गया है। (छाया प्रति सलंगन-1) उत्तराखण्ड सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन योजना मात्र 05 वर्षों हेतु ही बनायी जानी निर्देशित है, साथ ही यह अवगत कराना भी समीचीन होगा कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपनी पत्र सं०-औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 सं०-2171/VII-A-1/2021/22ख/13 देहरादून, दिनांक 03 जनवरी 2022 द्वारा खनन पट्टा 18 फरवरी 2023 से आगामी 10 वर्षों हेतु (दिनांक 19 फरवरी 2033 तक) नवीनीकृत किया गया है। (छाया प्रति सलंगन-2)
2	Cost benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28.03.2019.	याचक विभाग द्वारा लागत लाभ विश्लेषण सरकार द्वारा प्रदत्त गाईड लाईन के अनुसार पुनः तैयार कर संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-03)
3	The State has informed that the DSR report has been prepared only up to 2018. Fresh DSR for the proposed area is required to be submitted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining Guidelines- January 2020.	याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन विभाग द्वारा जारी खनन योजना जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (जिला-नैनीताल) दिनांक 25.07.2018 तक की प्रेषित की गई है। इस कार्यालय की पत्र सं०-1319/खनन 2022-23/ दिनांक 20.09.2022 द्वारा खनन विभाग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु आवेदन किया गया था, जिस के क्रम में खनन विभाग द्वारा अपनी पत्र सं०-870/भूखनि0ई0/खनन ई-रवन्ना/2022- 23 दिनांक 30-10-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला-नैनीताल कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR), वर्ष 2018 के उपरान्त तैयार नहीं की गई है, तथा वर्तमान में यही जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू है। (संलग्नक-04)

<p>4 The supportive documents in the compliance of the conditions no. (V) of the Stage-II approval dated 15-02-2013 wherein it has been mentioned the "the collection of minor minerals after 31st day of January in a year shall be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee under the Chairmanship of the Principal Chief Conservator of Forests, Ultrakhand constituted vide Government of Ultrakhand's letter No. 14-1/X-3-13-08(14)2008-T.C. dated 29.01.2013 to the effect that the condition stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactorily been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year, may be provided.</p>	<p>उक्त बिन्दु के संबंध में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की पत्र सं० B 61/1999 F.C. (P.V) दिनांक 15 फरवरी 2013 के बिन्दु सं०-02 (V) के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं० 14-1/X-3-13-08 (14)2008-T.C. dated 29.01.2013 के अनुसार प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा बिन्दु सं०-02 (V) में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेंडर वर्ष की समीक्षा की जाती रही है जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, (MoEF) देहरादून को भी प्रेषित की जाती है गत वर्षों की अनुश्रवण समिति द्वारा जारी कार्य वृत्तों की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्नक-05, 06, 07, 08, 09, एवं 10)</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


उक्त आपत्तियों के संबंध में याचक विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संलग्नों को आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न- उपरोक्तानुसार

संवदीय

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर

पत्रांक 3287 / उक्त दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय प्रबन्धक खनन, रामनगर, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग- रामनगर को उनके पत्रांक 2135/दाबका नदी पुर्नप्रस्ताव, दिनांक 07-01-2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।


(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पश्चिमी वन प्रभाग, रामनगर